न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2012/00341 (215/2012)

1. बृजलाल पुत्र मंगलूराम जाति जाट निवासी बड़बिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामकुमार पुत्र स्व0 श्री आशाराम
3. मदन पुत्र स्व0 श्री जीताराम
4. दर्शना पत्नी स्व0 जीताराम

(2–4) जाति जाट निवासी बड़बिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

—अपीलांट

बनाम

1. सुरेश कुमार पुत्र स्व0 औमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी बड़बिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. विजय कुमार पुत्र स्व0 औमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी बड़बिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ नाबालिग जरिये कुदरती बली माता रामी देवी पत्नी औमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी बड़बिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. विमला
4. संतोष
5. मन्जू
6. कमला
7. सरोज

(3–7) पुत्रियॉं स्व0 औमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी बड़बिराना तहसील जिला हनुमानगढ।

8. सीमा
9. रीटा

(8–9) पुत्रियॉं स्व0 औमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी बड़बिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

10. शारदा पुत्री स्व0 जीताराम
11. विनोद पुत्र स्व0 जीताराम
12. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार [illegible] नोहर जिला हनुमानगढ़।
13. भागीरथ
14. हरिराम
15. महेन्द्र

(13–15) पिसरान भीखाराम जाति ब्राहम्ण निवासी बड़बिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

16. रोहताश }
17. सुभाष } पिसरान महावीर जाति ब्राहम्ण निवासी बड़बिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्व निर्णय व डिक्री द्वारा सहायक कलक्टर नोहर दिनांक 10.12.2012 प्र0 सं0 218/2008 अनवान बिरजलाल बनाम रामी देवी आदि

उपस्थितिः—

श्री देवदत्त भिड़ासरा, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री मांगेराम गोदारा, अभिभाषक रेस्पोडेंट्स 1 ता 9
श्री प्रदीप मोहन भाटी रेस्पो0 सं0 13 ता 17
श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 12

राजस्व अपील अधिकारी

निर्णय दिनांक 10.09.2021

1 प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 9 ता 11 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। वाद पत्र में कथन कियाकि बड़ बिराना में रेस्पोडेण्ट्स के पूर्वज औमप्रकाश पुत्र प्रेमाराम ब्राहम्ण के नाम से संयुक्त खाता में खसरा न. 183 में 19.16 बीघा व खसरा नं. 188 में 199.08 बीघा व खसरा नं. 371 में 57.08 बीघा कुल 272.12 बीघा खाम भूमि व 2.04 बीघा भूमि गैर मुमकिन भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। जिसमें से औमप्रकाश का 1/8 हिस्सा था। औमप्रकाश ने अपीलाण्ट के पूर्वज [illegible] को अपने 1/8 हिस्सा की भूमि में से 30 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत [illegible] 11.04.1996 को विक्रय कर दी व मौका पर खसरा नं. 188 की 30 बीघा खाम [illegible] का कब्जा सौंप दिया। भू प्रबन्ध विभाग ने दौराने खसरा नं. 188 के नये ख[illegible] नं. 464, 460, 505, 538 बने। बैयनामा का इन्तकाल राजस्व रिकार्ड में नहीं करवाया गया परन्तु कब्जा क्रेतागण का ही चला आ रहा हैं राजस्व रिकार्ड में मृतक रेस्पोडेण्ट औमप्रकाश का नाम दर्ज होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

के कारण रेस्पोडेण्ट नाजायज दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। वादी ने प्रश्नगत भूमि का खतोदार घोषित करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा।

2. प्रतिवादीगण ने वाद को अस्वीकार किया एवं बैयनामा नहीं करवाने का कथन किया एवं बैयनामा को हिस्से से अधिक बताते हुए शुन्य व प्रभावहीन बताकर वाद खारिज करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम की अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा वाद खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील पेश होने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 13 ता 17 ने आदेश 41 नियम 20 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिसे इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.02.2016 को खारिज कर दिया जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई। उक्त आदेश माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 03.05.2016 के द्वारा खारिज कर दिया एवं प्रार्थीयान को भागीरथ आदि को अपील में पक्षकार संयोजित करने के आदेश दिये। अपील में इन्हें पक्षकार संयोजित किया गया।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने का भार वादी अपीलाण्ट पर था। इस तनकी को अपीलाण्ट के विरूद्ध निर्णित किया है। इस तनकी में केवल यह सिद्ध करना था कि ख0 नं0 188 के नये खसरा 460, 464, 505, 538 बने हैं अथवा नहीं व उक्त खसरों की भूमि में अपीलाण्ट अपनी खरीदशुदा भूमि अपने नाम करवाने के अधिकारी हैं अथवा नहीं परन्तु विचारण न्यायालय ने इस बिन्दू पर कोई विवेचना नहीं की है व केवल मात्र यह कथन कियाकि साबिका खसरा नं. 188 में औमप्रकाश का 30 बीघा हिस्सा नहीं बनता है व 1966 में करवाये गये बैयनामा [illegible] राजस्व रिकार्ड में न होने से बैयनामा सन्देहास्पद है। जबकि औमप्रकाश [illegible] यह बैयनामा दिनांक 11.04.66 में स्पष्ट अंकन किया है कि ख0 नं0 183, 188 [illegible] 199 में कुल 267.12 बीघा भूमि में मेरा 1/8 हिस्सा है अर्थात औमप्रकाश ने अपने तीनों खसरों की भूमि में से 30 बीघा भूमि विक्रय की थी व कब्जा ख. नं. 188 की भूमि से दिया था इस प्रकार यह तनकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पूर्णतया अपीलाण्ट के पक्ष में साबित है। परन्तु विचरण न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया है। तनकी नं. 2 को दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य और औमप्रकाश के बयान करवाकर साबित किया है। कुल 12 दस्तावेज प्रस्तुत किये जिनका कोई विवेचन नहीं किया है। तनकी नं. 3 व 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट परे था परन्तु विचारण न्यायालय ने तनकी नं. 1 व 2 वादी अपीलाण्ट के विरूद्ध निर्णित होने के कारण स्वतः ही साबित मान लिया है जबकि उक्त तनकीयां अलग अलग थी। बैयनामा 1966 का है 45 वर्ष तक राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं करवाने के कारण उसे सन्देहास्पद मानते हुए बैयनामा शुन्य व निष्प्रभावी नहीं माना जा सकता हैजबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 30 वर्ष से अधिक पुराना पंजीकृत दस्तावेज स्वतः ही साबित होने की उपधारण की जाती है। बैयनामा को राजस्व न्यायालय शून्य घोषित नहीं कर सकता है। अतः अपील स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण खारिज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2013 (2) पेज 1083, आरबीजे (5) 1998 पेज 272 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 3 ता 9 ने अपनी बहस में कथन किया कि औमप्रकाश द्वारा कोई बैयनामा नही करवाया गया है क्यों कि दावा के मुताबिक ख0 नं0 122 व 123 की 273.12 बीघा खाम भूमि होना बताया जिसमें औमप्रकाश का 1/2 हिस्सा मानकर बैयनामा होना बताया जबकि उक्त ख0नं0 में औमप्रकाश के नाम कोई भूमि नही है। बैयनामा नुमाईशी है। बैयनामा में ख. नं. 188 दर्शाया गया है तथा मुताबिक बैयनामा ख0 नं0 188 के हाल 454, 455, 460, 461, 462, 464, 505, 857, 658 की 158.07 बीघा बने है जिसमें औमप्रकाश का 1/8 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है इसलिए बैयनामा बिना हक व अधिकार के हिस्सा से ज्यादा तथा स्पेशिपिक ख0 नं0 188 की 30 बीघा का दर्शाया है जो शुन्य है इस बैयनामा से वादी को कोई भी हक प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलाण्ट किसी भी श्रेणी के काश्त कार नहीं है। विचारण न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत हैं अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:29 IST
Reason: SelfAttested

8. रेस्पोडेण्ट संख्या 13 ता 17 ने अपनी बहस में कथन किया किप्रश्नगत भूमि खसरों में पैमूद हुई जिस पर वे सह काश्तकार हैं। संयुक्त भूमि बाबत पूर्व में ही अन्य वाद सुरजाराम बनाम मंगलाराम आदि वाद सं0 211/94 निर्णय दिनांक 26.06.1995 व अन्य वाद मामचन्द बनाम बनवारी निर्णित हो चुके हैं जिससे सभी काश्तकारों को पक्षकार बनाकर निर्णय किये गये हैं परन्तु अपीलाण्ट वादी ने जानबूझकर उक्त निर्णयों को छिपाते हुए वाद पेश किया है। हमें वाद पक्षकार नहीं बनाया गया था। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है। आवश्यक पक्षकारों के संयोजन के बिना अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। रेस्पोडेण्ट संख्या 13 ता 17 प्रभावित पक्षकार हैं हमें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अतः प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय रिमाण्ड किया जावे।

9. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

10. अधीनस्थ न्यायालय में तनकी नं. 1 यह थी कि ''आया वादग्रस्त भूमि रोही मौजा बड़ बिराना जो अर्जीदावा की मद सं0 2 में दर्ज है के नये खसरा नं. 460, 464, 505 व 538 है कि भूमि में से मृतक औमप्रकाश का नाम कलमजन करा वादीगण व प्रतिवादी सं0 12 के नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं?'' –वादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी/अपीलाण्ट पर था। इस तनकी में केवल यह निर्धारण किया जाना था कि साबिका ख. नं. 188 के नये खसरा नं. 460, 464, 505, 538 बने हैं अथवा नहीं व उक्त खसरों की भूमि में वादी/अपीलाण्ट अपनी खरीदशुदा भूमि अपने नाम करवाने के अधिकारी हैं अथवा नहीं परन्तु अधीनस्थ न्यायालय इस बिन्दु पर कोई विवेचना नहीं की है केवल मात्र यह कथन किया कि साबिका ख. नं. 188 में औमप्रकाश का 30 बीघा हिस्सा नहीं बनता था।

11. अधीनस्थ न्यायालय ने बैयनामा दिनांक 11.04.66 को केवल इस आधार पर सन्देहास्पद माना है कि बैयनामा को 45 वर्ष तक राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं करवाया है इसलिए बैयनामा शुन्य व निष्प्रभावी है जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 30 वर्ष से अधिक पुराना पंजीकृत दस्तावेज सही साबित होने की अवधारणा की जाती है। उक्त पंजीकृत बैयनामा को विरासत न्यायालय द्वारा खारिज भी नहीं किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Karlar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

12. इसके अतिरिक्त रेस्पोडेण्ट संख्या 13 ता 17 को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि वे सह काश्तकार होने के कारण आवश्यक एवं प्रभावित पक्षकार हैं। इन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना अपेक्षित है। आवश्यक पक्षकारों के संयोजन के बिना अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त पर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है तनकी सं0 1 सहित सभी तनकीयात का विस्तृत विवेचन करते हुए उभयपक्षों को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

13. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2012 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि तनकी सं0 1 सहित सभी तनकीयात का विस्तृत विवेचन करते हुए उभयपक्षों को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.09.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

10/9/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:29 IST
Reason: SelfAttested